Statement

Arrears of Prices of Sugarcane Purchased by Madhya Pradesh Sugar Factories in 1969-70 as on 31-7-1970

1969-70 *In Lakh Rupees*

Name of Factory	*Total Price of Cane Purchased*	*Cane Price Paid*	*Arrears*
(1) Dabra	57.13	55.41	1.72
(2) Dalauda	54.68	30.87	23.81
(3) Jaora	87.52	79.14	8.38
(4) Mehidpur	17.82	17.18	0.64
(5) Sehore	59.40	32.00	27.40
Total	276.55	214.60	61.95

Arrears as % of total price 22.40%

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निर्धारित खाद्यान्नों के लक्ष्यों का राज्यों द्वारा अस्वीकार किया जाना

3406. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री जगन्नाथ राव जोशी .
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई अन्तिम रूप दी गई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अनुसार योजना के अन्त तक खाद्यान्नों के वार्षिक उत्पादन का अनुमान 12.9 करोड़ टन लगाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि योजना के प्रस्तुत किये जाने के अगले दिन; योजना आयोग द्वारा संयोजित राज्य प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भाग ले रहे बहुत से राज्यों के प्रतिनिधियों ने उनके राज्यों के लिए निर्धारित किये गये खाद्यान्नों के लक्षणों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उस पर की गई कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1290 लाख मीटरी टन तक पहुंचाने का विचार है।

(ख) योजना आयोग द्वारा अलग अलग राज्यों के लिये लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। परन्तु योजना में सम्मिलित किये गये कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, राज्य के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के आधार के रूप में कार्य करने के लिये कुछ लक्ष्य अन्तिम

रूप से तैयार किये गये हैं। आठ राज्यों ने प्रायः इन लक्ष्यों को स्वीकार कर लिया है। शेष राज्यों में से 6 राज्यों द्वारा अधिक लक्ष्य स्वीकार किये गये थे, जबकि तीन राज्यों के लिये कम लक्ष्य अपनाये गये थे।

(ग) राज्यों द्वारा स्वीकार किये गये अन्तिम लक्ष्य, 1290 लाख मीटरी टन के अखिल भारतीय लक्ष्य तक पहुंचे जाते हैं। अतः इस सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही करना आवश्यक नहीं था।

Representation from Residents of Vikram Nagar, New Delhi

3408. SHRI M.L. SONDHI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister received a representation from the residents of Vikram Nagar near Kotla Ferozeshah, New Delhi ;

(b) whether it is a fact that the late Prime Minister, Lal Bahadur Shastri had given an assurance to the residents of Vikram Nagar that there would be no disturbance to the colony of refugees from Pakistan and they would be permanently located at the same site ; and

(c) whether the Prime Minister will consider honouring the assurance of the late Prime Minister, Lal Bahadur Shastri by way of a clear directive to the authorities concerned to confer permanent rights on the residents of Vikram Nagar (Kotla Ferozeshah), New Delhi ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. There is no record of any such assurance.

(c) Does not arise.

Equal Pay for Equal Work in the Agriculture

3409. SHRI DEORAO PATIL : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the Directive Principle of "equal pay for equal work", of the constitution is being implemented in the Agriculture ; and

(b) if not, whether Government propose to make such arrangements and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA) : (a) and (b). Under the Minimum Wages Act, 1948, the Central Government is the appropriate Government in relation to the employment in agriculture carried on by or under the authority of any Ministry/Department of the Government of India. The wage rates fixed/revised by the Central Government in the employment in agriculture *vide* Notifications No. S.O. 1920 dated 19th May, 1969 and No. S.O. 1919 dated 19th May, 1969, are in consonance with the principle of equal pay for equal work.

The recommendations of the Minimum Wages (Central) Advisory Board that there should be no discrimination in the matter of wages on grounds/of sex and that work of equal value should be rewarded in the same manner has been brought to the notice of the State Governments and Union Territories.

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए विशेष कार्यक्रम

3410. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किसी विशेष कार्यक्रम को तैयार किया गया है, यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ख) क्या उपर्युक्त कार्यक्रम के आधार पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कोई परिवर्तन किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विकास कार्यक्रमों